



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 16

पटना, बुधवार,

2 वैशाख 1948 (श10)

22 अप्रील 2026(ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एंड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9-विज्ञापन
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4-बिहार अधिनियम	8-09
	10-11
	पूरक
	पूरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

16 मार्च 2026

सं० 01/रा०स्था० (निजी)-47/2022 सह०-1488—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा सवर्ग के निम्न पदाधिकारी को मूल कोटि के पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रथम नियुक्ति की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री सुदर्शन कुमार	जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी	09.05.2022 (अपराहन)	22.08.2024

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी,
उप सचिव।

16 मार्च 2026

सं० 01/रा०स्था० (निजी)-16/2026 सह०-1489—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा सवर्ग के निम्न पदाधिकारी को मूल कोटि के पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रथम नियुक्ति की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रशांत कुमार	जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	31.12.2021 (पूर्वाहन)	31.12.2023

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी,
उप सचिव।

16 मार्च 2026

सं० 01/रा०स्था० (सेवा सम्पुष्टि)-73/2025 सह०-1503—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा सवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को मूल कोटि के पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता है :-

क्र०सं०	पदाधिकारियों का नाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रथम नियुक्ति की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री पप्पू कुमार	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, भागलपुर	10.02.2024 (पूर्वाहन)	10.02.2025
2	श्री दीपक कुमार	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सुपौल	18.03.2024 (पूर्वाहन)	18.03.2025

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी,
उप सचिव।

17 मार्च 2026

सं० 01/रा.स्था. (स्था./पद.)-42/2025 सह.-1547-बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में अंकित पदाधिकारी को स्तम्भ-05 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक दिया जाता है :-

क्र. सं.	पदाधिकारियों का नाम/ गृह जिला	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1	श्री कुमार रितेश चन्द्र, नालन्दा	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स.	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., वैशाली (हाजीपुर)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., पटना (दि.-01.04.2026 के प्रभाव से)
2	श्री विनोद कुमार, रोहतास, सासाराम	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स.	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., औरंगाबाद	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., अरवल

2. संबंधित पदाधिकारी उक्त पद पर योगदान/प्रभार ग्रहण करते हुए इसकी सूचना सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
स्मृति कुमारी,
उप सचिव।

2 अप्रील 2026

सं० 01/रा.स्था.(Vegfed)-89/2023 सह.-1707-बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में अंकित पदाधिकारी को स्तम्भ-05 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है :-

क्र. सं.	पदाधिकारियों का नाम/सिविल लिस्ट क्र./गृह जिला	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1	मो. सैयद मशरूख आलम, 03/25, पश्चिमी चम्पारण।	संयुक्त निबंधक, स.स.।	संयुक्त निबंधक, स.स., सारण प्रमंडल, छपरा।	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सारण प्रमंडल विपणन सहकारी संघ लि., छपरा।
2	श्री विजय कुमार सिंह, 08/25, रोहतास।	संयुक्त निबंधक, स.स.।	संयुक्त निबंधक, स.स., दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल विपणन सहकारी संघ लि., दरभंगा।
3	श्री प्रभाकर कुमार, 16/25, मुंगेर।	संयुक्त निबंधक, स.स.।	संयुक्त निबंधक, स.स., भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भागलपुर प्रमंडल विपणन सहकारी संघ लि., भागलपुर।
4	मो. अमजद हयात बर्क, 18/25, मुजफ्फरपुर।	संयुक्त निबंधक, स.स.।	संयुक्त निबंधक, स.स., पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रमंडल विपणन सहकारी संघ लि., पूर्णियाँ।
5	श्री बीरेन्द्र शर्मा, 29/25, पटना।	उप निबंधक, स.स.।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. मुंगेर-जमुई, मुंगेर।	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल विपणन सहकारी संघ लि., मुंगेर।

2. संबंधित पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार वाले पद पर अविलम्ब योगदान/प्रभार ग्रहण करेंगे एवं इसकी सूचना सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अमरेन्द्र किशोर,
उप सचिव।

2 अप्रील 2026

सं० 01/रा.स्था.(स्था./पद.)-01/2025 सह.-1708—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में अंकित पदाधिकारी को स्तम्भ-05 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार अपने कार्यों के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है :-

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम/सिविल लिस्ट क्र./गृह जिला	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1	श्री निकेश कुमार, 21/25,	संयुक्त निबंधक, स.स.।	संयुक्त निबंधक, स.स. (पणन), बिहार, पटना।	संयुक्त निबंधक, स.स., पटना प्रमंडल, पटना।

2. संबंधित पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार वाले पद पर अविलम्ब योगदान/प्रभार ग्रहण करेंगे एवं इसकी सूचना सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अमरेन्द्र किशोर,
उप सचिव।

2 अप्रील 2026

सं० 01/रा.स्था.(विविध)-136/2024सह.-1709—बिहार सहकारिता प्रशासनिक/अंकेक्षण सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में अंकित पदाधिकारी को स्तम्भ-05 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है :-

क्र. सं.	पदाधिकारियों का नाम/सिविल लिस्ट क्र./गृह जिला	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1	श्री प्रभाकर कुमार, 16/25, मुंगेर।	संयुक्त निबंधक, स.स.।	संयुक्त निबंधक, स.स., भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भागलपुर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि., भागलपुर।
2	श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, 10/24, मुंगेर।	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स.।	बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना। (अतिरिक्त प्रभार—जिला अंकेक्षण पदा., स.स., भोजपुर, आरा)।	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, शाहाबाद सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि., सासाराम, रोहतास।
3	श्री बीरेन्द्र शर्मा, 29/25, पटना।	उप निबंधक, स.स.।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. मुंगेर—जमुई, मुंगेर।	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुंगेर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि., मुंगेर।
4	श्री दीपक कुमार, 62/25, कैमूर।	सहायक निबंधक, स.स.।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना।	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हरित सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि., पटना।

2. संबंधित पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार वाले पद पर अविलम्ब योगदान/प्रभार ग्रहण करेंगे एवं इसकी सूचना सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अमरेन्द्र किशोर,
उप सचिव।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
20 अप्रील 2026

सं०-08/ब.2-10-06/2026/गृह०आ०-5010-विभागीय अधिसूचना सं०-4488, दिनांक-10.04.2023 द्वारा नियुक्त वर्तमान बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री के०एस० द्विवेदी, सेवानिवृत्त भा०पु०से० (1984), पूर्व पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का वर्तमान कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् बिहार राज्यपाल बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम-06, 2016) की धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उनके कार्यकाल का विस्तार 68 वर्ष की आयु अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो, तक करने की कृपा करते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धर्मवीर पाण्डेय
अवर सचिव।

लघु जल संसाधन विभाग
अधिसूचनाएं

17 अप्रील 2026

सं० प्र०-01/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-09/2025-2580--माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन सं०-02/2017 के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-9349 दिनांक-26.12.2025 द्वारा सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर नियुक्ति के उपरान्त विभाग में योगदान करने वाले निम्नांकित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है-

क्र० सं०	संयुक्त मेधा क्रमांक/ अनुक्रमांक	नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) का नाम/ जन्म तिथि/गृह जिला	नव पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	530 203362	देवेन्द्र कुमार/ 03.06.1989/ बोकारो(झारखण्ड)	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, गयाजी	

2. नवनियुक्त सहायक अभियन्ता को पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ देय होगा।

3. संबंधित कार्यालय प्रधान नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) से प्रभार ग्रहण के समय शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेंगे एवं मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे।

4. प्रथम पदस्थापन होने के कारण प्रभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

5. पूर्ववृत्त सत्यापन(पुलिस भेरिफिकेशन) प्रतिकूल पाये जाने पर अस्थायी नियुक्ति तुरन्त रद्द कर दी जायेगी।

6. मूल प्रमाण-पत्र जाँच के क्रम में अवैध पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

7. संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा नवनियुक्त सहायक अभियन्ता का नई अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत स्थायी लेखा संख्या(PRAN No.) अवश्य रूप से खोल लिया जायेगा।

8. नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) जो वर्तमान में यदि किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण के समय त्याग-पत्र/विरमन आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. (क) नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) अपने पदस्थापित स्थान पर अविलम्ब प्रभार ग्रहण करेंगे।

(ख) पदाधिकारी का जहाँ पदस्थापन किया जा रहा है, उस अंचल के अधीक्षण अभियन्ता पदस्थापित सहायक अभियन्ता को तत्काल प्रभार दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

10. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है तो तदनुसार संशोधित कर दिया जायेगा।

11. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशांत कुमार,
अपर सचिव।

20 अप्रील 2026

सं० प्र०-०१/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-०५/२०२६-२६३९--बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-१३ दिनांक-२७.०२.२०२६ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal No.-54/2026(Arising out of SLP(C) No.-22323 of 2023) Abhay Kumar Patel & Ors. Vs. The State of Bihar & Ors. एवं अन्य सदृश्य वाद में दिनांक-०६.०१.२०२६ को पारित न्यायादेश के अनुपालन में लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन विज्ञापन सं०-०३/२०१९ के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की संशोधित अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी है।

२. परीक्षाफल में संशोधन के पश्चात् विभागान्तर्गत पूर्व में विज्ञापन सं०-०३/२०१९ के अन्तर्गत अनुशंसित उम्मीदवारों में से ०३ उम्मीदवार अब चयन की परिधि से बाहर है। वैसे उम्मीदवारों की सूची निम्न प्रकार है:-

Sl. No.	Roll No.	NAME	Remarks
1	300185	AMIT KUMAR	अब अनुशंसा की परिधि से बाहर
2	301252	MEGHA RANI	अब अनुशंसा की परिधि से बाहर
3	303890	MANTU KUMAR SINGH	अब अनुशंसा की परिधि से बाहर

उक्त ०३(तीन) उम्मीदवारों में से क्र०सं०-१ एवं ३ में अंकित श्री अमित कुमार एवं श्री मन्दु कुमार सिंह वर्तमान में विभागान्तर्गत सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर कार्यरत हैं।

३. पूर्व में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-४७ दिनांक-१४.११.२०२३ द्वारा लघु जल संसाधन विभाग के अधीन विज्ञापन सं०-०३/२०१९ के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता, असैनिक के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-७४२२ दिनांक-२९.१२.२०२३ एवं ११६५ दिनांक-०५.०३.२०२४ द्वारा क्रमशः ०६(छः) एवं ०४(चार) उम्मीदवारों की नियुक्ति सहायक अभियन्ता(असैनिक) के रिक्त पदों के विरुद्ध की गयी।

विभागीय अधिसूचना सं०-७४२२ दिनांक-२९.१२.२०२३ की कंडिका-१ के क्र० सं०-१ द्वारा श्री अमित कुमार एवं विभागीय अधिसूचना सं०-११६५ दिनांक-०५.०३.२०२४ की कंडिका-१ के क्र० सं०-१ द्वारा श्री मन्दु कुमार सिंह की नियुक्ति औपबधिक रूप से सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर की गयी।

४. विज्ञापन सं०-०३/२०१९ के अन्तर्गत संशोधित अनुशंसा में चयन की परिधि से बाहर हो रहे उम्मीदवारों के सम्बन्ध में सिविल अपील सं०-५४/२०२६ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-०६.०१.२०२६ को पारित न्यायादेश में अंकित टिप्पणी निम्न प्रकार है:-

"45. It has been informed that the State has made appointments pursuant to the impugned judgment of the High Court which stands set-aside, however, their services may be dispensed with, in accordance with law. We also make it clear that the direction as issued shall not have any adverse impact if the State of Bihar wishes to continue the services of the persons appointed as above, if they are deemed fit, on the vacancies available, if any, or by creating supernumerary post without affecting the merit list as indicated above."

५. बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं०-०३/२०१९ के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की संशोधित अनुशंसा में पूर्व में अनुशंसित उम्मीदवारों में से चयन की परिधि से बाहर हुए ०३ उम्मीदवार, जिनमें से ०२ उम्मीदवार वर्तमान में विभाग के अधीन सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर कार्यरत हैं, की सेवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil

Appeal No.-54/2026 में दिनांक-06.01.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में बरकरार रखने के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के उपरान्त विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता का मुख्य परामर्श निम्नवत् है:-

"In context of facts stated on Page 10/N and advisory of GAD, keeping in view observation of Hon'ble Supreme Court as contained in Paragraph 45 referred to above, I am in agreement with the advice of GAD contained in paragraph-5(i) and (ii). Hon'ble Supreme Court has left it for the State Government to continue the services of all persons, if they are deemed fit, on the vacancies available, if any, or by creating supernumerary post without affecting the merit list as indicated above."

6. अतएव माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal No.-54/2026(Arising out of SLP(C) No.-22323 of 2023) में दिनांक-06.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता, असैनिक के पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षाफल में संशोधन के उपरान्त विभागान्तर्गत पूर्व में अनुशंसित उम्मीदवारों में से चयन की परिधि से बाहर हुए वैसे निम्नांकित उम्मीदवारों, जो वर्तमान में सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर कार्यरत हैं, की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग एवं विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के परामर्श के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित कर बरकरार रखी जाती है:-

क्र0 सं0	सहायक अभियन्ता(असैनिक) का नाम/गृह जिला/जन्म तिथि	अनुक्रमांक	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री अमित कुमार/ सारण/21.12.1985	300185	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, औरंगाबाद।
2.	श्री मन्दु कुमार सिंह/ गोपालगंज/02.05.1993	303890	प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नालन्दा।

7. इस निर्णय के तहत सेवा में बरकरार रखे गये उपरोक्त सहायक अभियन्ता विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत नियुक्त अन्य सहायक अभियन्ताओं से वरीयता सूची में सबसे नीचे रखे जायेंगे।

8. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है तो तदनुसार संशोधित किया जायेगा।

9. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सुशांत कुमार,
अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 5—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 426--I PANKAJ KUMAR SINGH, S/O.-Hareshwar Prasad Singh, R/o Rampur Ami, P.O.- Ami, Dist- saran, Pin.no-841207 Bihar do hereby solemnly affirm and declare vide Affidavit. No. 19940 dated.-24.09.25 That my name is mentioned in my Aadhar card and pan card as PANKAJ KUMAR SINGH is Correct. That my daughter SNEHA KUMARI 10th Matriculation Educational documents my name has been wrongly mentioned as PANKAJ SINGH. That I will be know as PANKAJ KUMAR SINGH for All future purpose.

PANKAJ KUMAR SINGH.

No. 427--I, Pushpa Singh W/o Sanjay Kumar Singh R/o Vill-Sonpur Nakhas, P.O+P.S.- Sonpur, Distt.-Saran-841101, Bihar do hereby solmenly affirm and declare as per aff. No. 1076 dt.21.02.2026 that my name is wrongly written in my daughter Shalu Kumari's educational documents as Pushpa Devi. As per Aadhar and Pan Card written as Pushpa Singh. Both names are same and one person. From now I shall be known as Pushpa Singh for all purposes.

Pushpa Singh.

No. 428--I, Md. Anisur Rahman S/o Md. Fakhrul Hasan R/o Anis Manzil, Lilly Cottage, Kunkun Singh Lane, Mohalla Lal Bagh, Sampatchak, P.O.-Mahendru, Dist-Patna, Bihar-800006, do hereby Solemnly affirm and declare as per aff. No.-81 dt. 06.02.2026 that my name is written in my daughter Saima Naz's class 10th (Matriculation) Education Certificate and MBBS academic records as Mohammad Anisur Rahman which is wrong. As per Aadhar, Pan card, Voter ID my correct name is Md Anisur Rahman. Both names are same and one person. From now I will be known as Md Anisur Rahman for all future purposes.

Md. Anisur Rahman.

No. 429--I, SANJAY Mandal S/o Sri Moti Lal Mandal, R/o Urmila Niwas, Near Delhi Public School, Priyadarshi Nagar, Bailey Road, Patna-801503 do hereby solemnly affirm and declare follows as vide Affidavit No 5512 dated 11.11.2025. That I want to my Daughter add surname to YADAV. That my Minor Daughter's Aadhar card name has been written as LAVANYA. That from now she will be know as LAVANYA YADAV for All future purpose.

SANJAY Mandal.

No. 431--I, Ajit Kumar Tiwari, S/o Sita Ram Tiwari, R/o Village-sidhipur, P.O.- Kesath, P.S.-Basudewa O.P., Distt.-Buxar, Bihar-802125 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-194 dt. 20.03.2026 that my name is written in my son Aashish Tiwary's Class 10 and 12th all educational documents as Ajit Tiwary. In my aadhar card my name is written as Ajit Kumar Tiwari. Both names are same and one person. From now I will be known as Ajit Kumar Tiwari for all purposes.

Ajit Kumar Tiwari.

No. 432--I, Archana Devi, wife of Sanjay Kumar, resident of Vil-Dawai Bigha, P.O.-Eksara, PS-Ben, Dist Nalanda, do hereby solemnly affirm and declare That my name has been incorrectly mentioned as Archana Kumari in the Matriculation Certificate of my Son, Amit Kumar My Correct name is Archana Devi. Affidavit No. 8764/25, Dated:13/09/2025.

Archana Devi.

No. 433--I, Km. Rambha Diwedi, W/o Manindra Mishra, R/o-Vill-Dorapur, P.O.-Siswaniya, P.S.-Uchkagaon, Distt.-Gopalganj, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1069 dt. 16.03.2026 that my name is written in my minor Son Arpit Kumar Mishra's C.B.S.E. Class 10th marksheet as Rambha Devi. In Aadhar Card written as Km. Rambha Diwedi. Both names are same and one person. From now I shall be known as Km. Rambha Diwedi for all purposes.

Km. Rambha Diwedi.

No. 434--I, Jyoti Kumari W/o Ramesh Chandra R/o House No.-B/2C Meera Sadan, Ramjaipal Nagar, Gola Road, Baily Road near Shivam clinic, Dinapur cum Khagaul Danapur Cantt, Patna, Bihar-801503 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-259 dt. 14.01.26 that my name is written as Jyoti Tiwaari in my daughter Shubhi Tiwari's all educational documents. In Aadhar card and Pan card written as Jyoti Kumari. Both names are same and one person. From now I shall be known as Jyoti Kumari for all future purposes.

Jyoti Kumari.

No. 435--I, Nikhil Kumar S/o Chandrashekhar Kumar R/o , Kachhi Saray Chakbasu, Hathi Chowk, P.O.-Ramna, P.S.-Mithanpura, Muzaffarpur, Bihar-842002 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-2262, dt. 22.08.2025 that my name is written in my Aadhar, Pan Card as Nikhil Harsha. In all educational documents written as Nikhil Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Nikhil Kumar for all purposes.

Nikhil Kumar.

No. 436--I, SHARAD KUMAR, S/O LALJEE PRASAD, R/o K.L. GUPTA AUTO CENTRE, RAMNA ROAD, P.S. CIVIL LINE, DIST-GAYA-823001, BIHAR, DO HERE BY DECLARE VIDE AFFIDAVIT NO-10064, DATED-25-02-2026, THAT PRANSHU GUPTRA IS MY SON, THAT IN HIS C.B.S.E. 10TH AND 12TH CERTIFICATE MY NAME IS INCORRECTLY MENTIONED AS SHARAD KUMAR GUPTA. THAT MY CORRECT NAME IS SHARAD KUMAR & I SHALL BE KNOWN AS SHARAD KUMAR FOR ALL PURPOSE.

SHARAD KUMAR.

No. 437--I, Tanima Singh W/o Navin Kumar Singh R/o 47, Near Bari Mathiya Mahavir Tola, Arrah, Distt.- Bhojpur, Bihar-- 802301 do hereby solemnly affirm and declare as per aff.no. 1113 dt. 18.02.26 that my name is written in my educational documents as Tanima Chatterjee. In my Aadhar, Pan Card, Passport written as Tanima Singh. Both names are same and one person. From now I shall be known as Tanima Singh for all purposes.

Tanima Singh.

No. 438--I, Lovely W/o Sanjay Kumar Srivastava R/o Mohalla-Takshal Sanghat Jaani Bazar, Sasaram, P.O+P.S.- Sasaram Rohtas, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 03 dt. 22.11.2025 that my name is written in my daughter Sanskriti Srivastava's CBSE Board Class 10th Mark Sheet as Lovely Srivastava. As per Aadhar Card my correct name is Lovely. Both names are same and one person. From now I shall be known as Lovely for all purposes.

Lovely.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 5—571+10-डी0टी0पी01
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० कारा/नि0को0(मुक0)—09—09/2023—3662
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

15 अप्रील 2026

श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति केन्द्रीय कारा, मोतिहारी से सेवानिवृत्त काराधीक्षक) के विरुद्ध उनके मंडल कारा, मधुबनी में उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापन के दौरान कारा परिसर में मंदिर निर्माण एवं रंगाई-पुताई के लिए अवैध रूप से बंदियों को कारा से बाहर निकाल कर कार्य कराने के क्रम में मौके का लाभ उठाकर दिनांक-11.09.2012 को विचाराधीन बंदी मो० साबिर के पलायन के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक-2404 दिनांक-08.05.2013 द्वारा श्री शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई थी। उक्त विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त विभागीय आदेश ज्ञापांक-4794 दिनांक-03.09.2014 द्वारा उन्हें “निन्दन” एवं “दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड” अधिरोपित किया गया था।

2. उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री शर्मा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अपीलीय प्राधिकार-सह-प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा अस्वीकृत करते हुए दंड को यथावत् रखा गया, जो विभागीय ज्ञापांक-6724 दिनांक-29.12.2014 द्वारा संसूचित है।

3. उक्त दंडादेश एवं अपील आदेश के विरुद्ध श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No.-922/2015 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-07.05.2018 को पारित न्यायादेश में विभागीय दण्डादेश ज्ञापांक-4794 दिनांक-03.09.2014 एवं अपीलीय प्राधिकार के आदेश ज्ञापांक-6724 दिनांक 29.12.2014 को निरस्त करते हुए सक्षम प्राधिकार को नये सिरे से आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही करने को स्वतंत्र रखा गया।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-4493 दिनांक-03.07.2018 द्वारा श्री शर्मा के विरुद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं उनके विरुद्ध विहित प्रपत्र ‘क’ में आरोप पत्र गठित किया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7243 दिनांक-10.10.2018 द्वारा श्री शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसके संचालन हेतु आयुक्त पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी एवं अधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. इसी बीच श्री शर्मा एक अन्य मामले में निलंबनावस्था में दिनांक-31.01.2019 को केन्द्रीय कारा, मोतिहारी से सेवानिवृत्त हो गये। फलस्वरूप विभागीय आदेश ज्ञापांक-1089 दिनांक-07.02.2019 द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि-31.01.2019 के प्रभाव से उनके विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी) के तहत सम्पूरित किया गया।

7. उक्त विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक-156 दिनांक 20.01.2022 द्वारा जाँच उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री शर्मा के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ में गठित सभी दोनों आरोपों को अंशतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

8. उक्त विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10600 दिनांक-14.10.2022 द्वारा श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति केन्द्रीय

कारा, मोतिहारी से सेवानिवृत्त काराधीक्षक) के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :-

“देय पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) राशि की कटौती का दंड पाँच (05) वर्षों के लिए”।

9. उपर्युक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत्त काराधीक्षक द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक-24.11.2022 समर्पित किया गया है, जिसे सम्यक् विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-13880 दिनांक-22.12.2022 द्वारा श्री शर्मा के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

10 उक्त दंडादेश एवं पुनर्विलोकन अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No.-4553/2023 (राम सुमेर शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-19.02.2026 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यशील अंश निम्नवत् है :-

“.....Accordingly, the impugned order contained in Memo No. 10600 dated 14.10.2022 and Memo No. 13880 dated 22.12.2022 deserves to set aside and are accordingly set aside.

Since, during the pendency of the departmental proceeding, the petitioner has already retired, therefore there is no justification in remitting the matter back to the disciplinary authority to proceed afresh in view of different judicial pronouncements, including the judgment passed by the Hon'ble Supreme Court of India in **Punjab National Bank & Ors. versus Kunj Behari Misra reported in AIR 1998 SC 2713.**

The respondent authorities are directed to pay the petitioner the entire pension, for which he is entitled and to return the amount of pension which has been deducted by the respondent authorities in terms of order contained in Memo No. 10600 dated 14.10.2022.

The entire exercise must be completed within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of the order.

The writ petition is allowed in the aforementioned terms.

Pending applications, if any, shall also stand disposed of.”

11. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में C.W.J.C. No.-4553/2023 (राम सुमेर शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-19.02.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति केन्द्रीय कारा, मोतिहारी से सेवानिवृत्त काराधीक्षक) के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10600 दिनांक-14.10.2022 द्वारा अधिरोपित दंड एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक-13880 दिनांक-22.12.2022 द्वारा संसूचित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी आदेश को निरस्त किया जाता है। तदनुसार श्री शर्मा को पूर्ण पेंशन एवं भत्ते का भुगतान करने तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10600 दिनांक-14.10.2022 के द्वारा पेंशन से कटौती किये गये राशि को विमुक्त करने का आदेश अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी को दिया जाता है। आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव जमुआर,
अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 5—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>